न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 177 / 2015 / अपील

सीताराम पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पृथ्वीराज का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 किशनलाल चौधरी पुत्र मिसाराम जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा जाटान तहसील मेड़ता जिला नागौर हाल आबाद 15 अरूण विहार, निवारू रोड़ झोटवाड़ा तहसील झोटवाड़ा जिला जयपुर

2 चूंकि देवी पत्नी आनन्दीलाल

3 रामजीलाल

4 लक्ष्मण

5 शिवभगवान

6 राजू

(3 से 6) पुत्रगण आनन्दीलाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

7 तहसीलदार दांतारामगढ़

8 रामस्वरूप पुत्र दुर्गालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पृथ्वीराज का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 17 दिनांक 28.09.2015
ग्राम पृथ्वीराज का बास तहसील दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री सोहनलाल
वकील रेस्पोडेंट श्री आनन्द राड़

Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांकः— 17.07.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पृथ्वीराज का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में स्थित भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 405, 408 व 428 कुल किता 3 कुल रकबा 5.77 है0 खाता संख्या 11 अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों मे से भूमि खसरा नम्बर 428 रकबा 3.90 है0 पर अपीलांट एवं उसका भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 8 रामस्वरूप बहिस्सा बराबर–बराबर पूर्वजो के जमाने से काबिज चला आ रहा है। तथा भूमियां खसरा नम्बर 405 व 408 पर अन्य व्यक्तियों कन्हैयालाल वगैरह का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त भूमियों की खातेदारी गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के नाम अंकित चली आ रही है। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ के समक्ष अपने कब्जे, काश्त की भूमि खसरा नम्बर 428 रकबा 3.90 है0 तन ग्राम पृथ्वीरजा का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के सम्बन्ध में अपने हक, अधिकारों की अदघोषणार्थ नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो आज भी विचाराधीन है। शेष भूमियों खसरा नम्बर 405 व 408 के सम्बंध में उपरोक्त भूमियों के काबिज, काश्तकारों द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यंहा मकदमा विचाराधीन है

405, 408 व 428 की खातेदारी में अंकित गलत इन्द्राजात के आधार पर रेस्पो. संख्या 1 किशनलाल चौधरी के हक में दिनांक 23.08.2013 को विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया। रेस्पो. संख्या 1 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ में अपीलांट के हक में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दिनांक 01.09.2015 को निरस्त करवा दिया तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भूमि खसरा नम्बर 405 व 408 के सम्बंध में स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद तथा अपीलांट का वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में नियमित वाद विचाराधीन होने के बावजूद एवं बिना रेस्पो. संख्या 1 का कोई कब्जा, काश्त न होने के बावजूद नियम विरूद्व तरीके से अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पो. संख्या 1 ने तहसीलदार दांतारामगढ़ से अपने हक में नामान्तकरण संख्या 17 दिनांक 28.09.2015 को तस्दीक करवा लिया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमियों के कब्जे, काश्त एवं अन्य उच्च न्यायालयों में विचाराधीन वाद के सम्बंध में किसी प्रकार की जांच किये बिना ही उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 428 के सम्बंध में अपीलांट द्वारा पेश किया गया नियमित वाद विचाराधीन रहते हुए तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा इस तथ्य को नजर अंदाज करके नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 17 दिनांक 28.09.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भरा जाकर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.09.2013 को अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ में मु.न. 186/2013 के द्वारा जारी स्थगन 01.09.2015 को खारिज हो चुका है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 28.09.2015 को उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। इसके पश्चात तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा उक्त नामान्तकरण में दिनांक 12.10.2015 को अपनी रिपोर्ट कर अंकित किया गया है कि “पटवारी द्वारा दिनांक 12.10.2015 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 24.09.2013 अपील 7606 की फोटो प्रति पेश की। पूर्व में स्थगन की जानकारी ना होने व विक्रेता क्रेता द्वारा तथ्य छुपाकर पटवारी से से भरवा लिया गया। उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ का स्थगन जो दिनांक 01.09.2015 को निरस्त किया जा चुका था। बैचाननामा की पालना में नामान्तकरण किया गया। इससे माननीय राजस्व मण्डल के स्थगन की पालना पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अतः नामान्तकरण संख्या 17 के अमल पर तुरन्त रोक लगाई जाती है। आगामी आदेशों तक कालम संख्या 9 का अंकन प्रभाव हीन रहेगा।”

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 28.09.2015 को विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक करने के उपरांत उक्त नामान्तकरण के सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन होने का हवाला देते हुए तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 12.10.2015 को नामान्तकरण संख्या 17 के अमल पर रोक लगाने हेतु आदेश पारित किया हुआ है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व विवादित भूमियों के सम्बंध में अन्य उच्च न्यायालयों में [illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

17 दिनांक 28.09.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ़ को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमियों के सम्बंध में अन्य उच्च न्यायालयों में विचाराधीन वादों/स्थगन आदेश के सम्बंध में विधिवत जांच की जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/7/18

(जय प्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official